जनसम्पर्क संचालनालय
मध्यप्रदेश शासन

:आदेश:

क्रमांक 846 जसंसं/फीचर/ भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2024

फीचर एजेंसी/वरिष्ठ लेखकों से राज्य शासन की जनहितकारी नीतियों, निर्णय, जन-कल्याणकारी योजनाओं, अभियान, कार्यक्रमों और नवाचारों पर केन्द्रित आलेख आमंत्रित किये जाना हैं। इच्छुक फीचर एजेंसी/वरिष्ठ लेखक उपरोक्त विषयों पर आलेख तैयार कर निम्नानुसार समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाकर जनसम्पर्क संचालनालय को प्रस्तुत करते है, तो उन्हें निम्नानुसार 3 श्रेणियों के अनुरूप निर्धारित राशि का भुगतान समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा जाना। आलेख भुगतान के संबंध में निम्नानुसार श्रेणी निर्धारित की गई हैं:-

क्रमांक	फीचर एजेंसी के आलेख का समाचार-पत्र में हुआ प्रकाशन	भुगतान योग्य प्रस्तवित राशि
श्रेणी-1	दैनिक भास्कर के मध्यप्रदेश एवं राज्य के बाहर के संस्करण, पत्रिका के मध्यप्रदेश एवं राज्य के बाहर के संस्करण, नवदुनिया/जागरण के मध्यप्रदेश एवं राज्य के बाहर के संस्करण, टाइम्स ऑफ इंडिया मध्यप्रदेश एवं राज्य के बाहर के संस्करण, फ्रीप्रेस मध्यप्रदेश एवं राज्य के बाहर के संस्करण, हितवाद मध्यप्रदेश एवं नागपुर संस्करण, पायोनीर मध्यप्रदेश एवं दिल्ली-मुंबई संस्करण, नवभारत हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली-मुबंई, द हिन्दु दिल्ली-चेन्नई, लोकमत नागपुर-मुंबई-पुना, इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली-मुंबई-कोलकाता, जनसत्ता नई दिल्ली, पंजाब केसरी नई दिल्ली-चंडीगढ-जालंधर, अमर उजाला नई दिल्ली-आगरा-लखनऊ-कानपुर-इलाहाबाद, न्यू इंडियन एक्सप्रेस चेन्नई, मिलेनियम पोस्ट दिल्ली-कोलकता, सनमार्ग कोलकता, फ्रीप्रेस जरनल मुंबई सहित नेशनल पत्रिकाएं इंडिया टूडे, आउटलुक, द वीक और बिजनेस टूडे में आलेख का प्रकाशन।	राशि 5000 रूपये
श्रेणी-2	मध्यप्रदेश के समाचार-पत्र दैनिक जागरण, पीपुल्स, हरिभूमि, राजएक्सप्रेस, नवभारत, दैनिक नई दुनिया, देशबंधु, स्वदेश, सुबह-सवेरे, प्रदेश टू,मध्य स्वदेश, अग्निबाण, दोपहर मेट्रो, प्रजातंत्र, अवन्तिका, सच एक्सप्रेस, अमृत दर्शन, प्रदेश टाइम्स, सांध्य प्रकाश, स्वतंत्र समय, एल.एन. स्टार, सत्ता सुधार और लोकदेश समाचार-पत्र के संस्करणों में आलेख का प्रकाशन।	राशि 3000 रूपये
श्रेणी-3	श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के समाचार-पत्रों को छोड़कर मध्यप्रदेश से प्रकाशित नियमित दैनिक समाचार-पत्र/पत्रिकाओं में आलेख का प्रकाशन।	राशि 1000 रूपये

नियम एवं शर्तें

1. उपरोक्त प्रावधान के तहत प्रकाशित आलेख राज्य शासन की जनहितकारी नीतियों, निर्णय, जन-कल्याणकारी योजनाओं, अभियान, कार्यक्रमों और नवाचारों पर केन्द्रित होना चाहिए।
2. आलेख प्रकाशन उपरान्त देयक के साथ समाचार-पत्र की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी।
3. आलेख की गुणवत्ता और स्तर की जाँच संचालनालय स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी।
4. समिति की अनुशंसा के बाद ही फीचर एजेंसी को भुगतान किया जायेगा।

5. फीचर एजेंसी के अतिरिक्त वरिष्ठ लेखकों से भी आलेख लिखवाये जा सकेंगे।
6. एक फीचर एजेंसी/ वरिष्ठ लेखक के लिये अधिकतम मसिक सीमा 25 हजार रूपये होगी।
7. संबंधित फीचर एजेंसी/वरिष्ठ लेखकों को किये गये भुगतान में जीएसटी/इनकम टैक्स का नियमानुसार टीडीएस वहन करना होगा।
8. आलेख में प्रकशित आंकड़े/संख्या/तथ्यों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित लेखक/एंजेसी की होगी। साथ ही जनसम्पर्क विभाग से भुगतान मात्र होने से उनके सत्यापत की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
9. यह प्रावधान पूर्णत: बजट की उपलब्धता एवं शासन की प्राथमिकताओं के अधीन है, एवं सूचीवद्ध होने मात्र से किसी प्रकार का अधिकार/दावा प्रादूर्भ नहीं होता है।
10. किसी फीचर एजेंसी/ वरिष्ठ लेखक को आलेख लेखन का कार्य देना या न देने पर आयुक्त/संचालक का निर्णय अंतिम रहेगा।

(आयुक्त जनसम्पर्क द्वारा अनुमोदित)

हस्ता.
(अंशुल गुप्ता)
संचालक, जनसम्पर्क

क्रमांक 847 जसंसं/फीचर/ भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2024

प्रतिलिपि

1. स्टेनो आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल।
2. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट रूम जनसम्पर्क संचालनालय की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने संबंधी।
3. रिकार्ड फाइल।

(जी.एस.वाधवा)
प्र.अपर संचालक (समाचार)